संख्या : 7(दो)/XXXVI(2)/2017–01–दो(5)/17

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

डाक प्राप्ति संख्या 3385/
दिनांक 18-11-17
21-11-17
A/C

सेवा में,

सदस्य सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग – 2

देहरादून : दिनांक :17 नवम्बर, 2017

विषयः राज्य प्राधिकरण के अधीनस्थ नवगठित स्थाई लोक अदालतों में नियुक्त होने वाले सदस्यों को अनुमन्य की गयी नियत धनराशि के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 965/IV-A-9/रा0वि0से0प्रा0 नैनीताल/2017–18, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ गठित स्थाई लोक अदालतों में नियुक्त होने वाले सदस्यों को शासनादेश संख्याः 03–दो(5)/XXXVI(2)/17–01–दो(5)/17, दिनांक 07.07.2017 द्वारा आपके निवर्तन पर लेखाशीर्षकः "2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–10–लोक अदालत–00–लोक अदालत–00" के अन्तर्गत मानक मद संख्याः 16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान पर रखी गयी धनराशि रू0 1,00,000/– से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव ।